संख्या- 158 / 2016 / 2103 /चार-2016-1 (बजट)/2016

प्रेषक,

डा0 हरिओम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में " यश भारती सम्मान एवं पद्म सम्मान से सम्मानित महानुभावों को पेंशन दिये जाने की अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय अपने पत्र संख्या- 1736 /सं0नि0-15(यश भारती पेंशन)/2015-16 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि यश भारती सम्मान एवं पद्म सम्मान से सम्मानित महानुभावों को पेंशन दिये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-34/2016/213/चार-2016-1(बजट)/16 दिनांक 22 फरवरी,2016 द्वारा रू0 500.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। , तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपया पॉच करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिसमें जमा नहीं की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-34/2016/213/चार-2016-1(बजट)/16 दिनांक 22 फरवरी,2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

4 - उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -03- यश भारती सम्मान एवं पदम एवार्ड से सम्मानित महानुभावों को पेंशन -42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- / 2016 / 2103 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

6 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।

7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।